न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला करौली

मु.नं.:– 14 / 2025 तारीख रजू :– 02.07.2025

पीठासीन अधिकारी :– पूजा मीना आर.ए.एस.

ज्ञानसिंह पुत्र जौहरी उम्र 60 वर्ष जाति गुर्जर निवासी डूंगापुरा तहसील बालघाट, जिला करौली (राज0)

अपीलांटस

बनाम

1. उर्मिला पत्नि हेतराम
2. केसरिया पत्नि ज्ञानसिंह
3. निर्मला पत्नि बब्बू
4. बब्बू पुत्र ज्ञानसिंह
5. हेतराम पुत्र ज्ञानसिंह

समस्त जाति गुर्जर निवासी डूंगापुरा तहसील बालघाट जिला करौली (राज0)

6. ग्राम पंचायत मोरडा पंचायत समिति टोडाभीम, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मोरडा पंचायत समिति टोडाभीम, जिला करौली (राज0)

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 168 दिनांक 17.06.2025

ग्राम पंचायत मोरडा ग्राम डूंगापुरा तहसील बालघाट

उपस्थित :– 1 अभिभाषक अपीलांटस :– हंसराम गुर्जर एडवोकेट

2 अभिभाषक रेस्पोडेन्टस :– गौरीशंकर गुर्जर एडवोकेट

निर्णय दिनांक– 25/08/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:44:56 IST
Reason: SelfAttested

अपील के [illegible] कि निर्णय दिनांक 17.06.2025 बावत् नामान्तकरण संख्या 168 [illegible] खिलाफ कानून व रिकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। हाल [illegible] खसरा नम्बर 1031/1/[illegible]

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

1046 / 0.15, 1057 / 1 / 0.36, 1059 / 0.15, 1079 / 5334 / 0.10, 1082 / 0.34, 1099 / 0.22, 1115 / 0.47, 1134 / 0.07, 1134 / 5061 / 0.02, 1135 / 0.03, 1135 / 5020 / 0.07, 1136 / 0.08, 3720 / 5071 / 0.02, 3744 / 0.15, 3950 / 0.41, 3975 / 1 / 0.17, 3976 / 0.24, 3977 / 0.17, 617 / 0.46, 626 / 0.74, 643 / 0.18, 847 / 0.49, 858 / 0.27, 917 / 0.09, 949 / 0.09, 950 / 0.20, 979 / 0.26, 979 / 4990 / 0.14 कुल किता 30 कुल रकबा 6.41 है0 ग्राम डूंगापुरा तहसील बालघाट जिला करौली (राज0) में है। उक्त भूमि में अपीलान्ट रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा जीवित है। परन्तु अपीलान्ट की उक्त भूमि का ईमित्र वाले की गलती से भूलवश विरासत नामान्तकरण भर दिया गया जो पटवारी हल्का व ग्राम पंचायत मोरडा द्वारा ऑटो फॉवर्ड मोड पर स्वीकृत हो गया है जो अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त होने योग्य है।

दिनांक 26.06.2025 को अपीलान्ट के.सी.सी. की फाईल बनवाने के लिये ईमित्र की दुकान पर जमाबन्दी निकलवाने गया, जमाबन्दी निकलवाने पर उक्त नामान्तकरण की जानकारी हुई इसलिये नामान्तकरण की नकल लेकर अपील अपीलान्ट अन्दर म्याद पेश है। अपीलान्ट जीवित है तथा कानूनन जावित आदमी का विरासत का नामान्तकरण नहीं खोला जा सकता है इस बिना पर भी अपीलान्ट नामान्तकरण निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्टर स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण संख्या 168 दिनांक 17.06.2025 ग्राम पंचायत मोरडा तहसील बालघाट निरस्त फरमाया जावे तथा तहसीलदार बालघाट को आदेश फरमाया जावे कि राजस्व रिकार्ड में पूर्व की स्थिति कायम की जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरिए सम्मन तलब किया गया रेस्पोडेन्स नं0 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा राजीनामा पेश किया। राजीनामा में अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाते हुये नामान्तकरण संख्या 168 दिनांक 17.06.2025 ग्राम पंचायत मोरडा ग्राम डूंगापुरा को खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:44:56 IST
Reason: SelfAttested

मैने अपीलांटस की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। अतः मुताबिक राजीनामा एवं

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

दस्तावेजों के अनुसार अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है। सभी पक्षकारों ने सहमति स्वरूप आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। ग्राम डूंगापुरा का नामान्तकरण संख्या 168 दिनांक 17.06.2025 ग्राम पंचायत मोरडा तहसील बालघाट निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार बालघाट को राजस्व रिकार्ड में उक्त नामान्तकरण से पूर्व की स्थिति कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 25/08/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:44:56 IST
Reason: SelfAttested